

‘अरे दीवाने ऐसा काम न कर, राम का नाम बदनाम न कर’

शशि थरुर का लोकसभा में यह व्यंगात्मक भाषण इस बात का संकेत है कि राहुल की सोच बदल रही है, बगावती से तेवर दिखाने वाले पार्टी के नेताओं के प्रति

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 दिसम्बरा ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी शशि थरुर और मनीष तिवारी दोनों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों ही मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। शशि थरुर ने सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने और महात्मा गांधी नाम हटाने के निर्णय पर विरोध जताया। उन्होंने सरकार द्वारा लाए गए न्यूक्लियर बिल पर भी अपनी बात रखी।

मनीष तिवारी का एसआईआर (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट) पर भाषण सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बेहद प्रभावपूर्ण हमला था, जिसमें उन्होंने सरकार की गलतियों को उजागर किया और सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता पर जोर दिया।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि शशि थरुर के निर्वाचन क्षेत्र तिरुवनन्तपुरम में भाजपा के प्रवेश करने से थरुर को झटका लगा है और वे थोड़े शांत पड़ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, थरुर की समस्या

- पहले राहुल की सोच होती थी, अगर पार्टी के कामकाज करने के तरीके से खुश नहीं तो पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं।
- पर, अब पार्टी द्वारा शशि थरुर को लोकसभा में खुलकर बोलने का मौका देना, इस बात का संकेत है कि राहुल गांधी का रुख “बगावती” तेवर वाले नेताओं के प्रति कुछ नरम हुआ है।
- दूसरी ओर शशि थरुर भी कुछ सध कर बोल रहे हैं, भाजपा व प्र.मंत्री मोदी की तारीफ के पुल बांधते समय।
- शशि थरुर ने यह महसूस किया कि धीरे-धीरे भाजपा उनके चुनाव क्षेत्र, तिरुअनंतपुरम् में उनके वोट बैंक में संध मार रही है और यह थरुर के लिए काफी चौंकाने वाली बात थी।
- यह ही मनीष तिवाड़ी के बारे में हुआ। मनीष को लग रहा था कि पार्टी में उनको वह स्थान नहीं मिल रहा, जिसका वे अपने आपको हकदार मानते थे। पर, जब पार्टी ने उन्हें एसआईआर पर राज्यसभा में प्रथम वक्ता के रूप में बोलने का मौका दिया तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और बहुत सराहा गया और कांग्रेस के लिए यह सुखद “डवलपमेंट” था।

के पीछे के.सी. वेणुगोपाल हैं, जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और उन्हें बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि

दोनों ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इस परिदृश्य में पार्टी के भीतर

तनाव साफ दिखाई दे रहा था, और कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी पर शशि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से मिले भागवत

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने बुधवार को उपराष्ट्रपति सीपी

- उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के अधिकारिक एक्स हैंडल से इस मुलाकात की जानकारी दी गई और बताया गया कि सरसंघ चालक भागवत ने उनसे सांस्कृतिक व शैक्षिक मसलों पर चर्चा की।

राधाकृष्णन से उपराष्ट्रपति एनक्लेव में मुलाकात की। इसकी जानकारी उपराष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट के माध्यम से की गई।

सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति और सरसंघ चालक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एच वन बी वीज़ा की फीस का सर्वाधिक असर टाटा और इंफोसिस पर पड़ेगा

अब इन कंपनियों को भारतीयों को अमेरिका में नौकरी देने के लिए एक लाख डॉलर की वीज़ा फीस भरनी पड़ेगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। अमेरिका के बाहर से नियुक्त किए जाने वाले नए एच-1बी कर्मचारियों पर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा 1,00,000 डॉलर का शुल्क तय किए जाने से आईटी आउटसोर्सिंग और स्टाफिंग उद्योग पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह उद्योग लंबे समय से दोनों राजनीतिक दलों के निशाने पर रहा है। यह शुल्क ट्रंप प्रशासन द्वारा अब तक कुशल विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगाई गई सबसे बड़ी पाबंदी है। इसका असमान रूप से ज्यादा असर उन बहुराष्ट्रीय स्टाफिंग कंपनियों पर पड़ेगा, जो एच-1बी कर्मचारियों की तलाश कर रहीं कंपनियों के लिए

- ट्रंप के, एच वन बी वीज़ा शुल्क को एक लाख डॉलर करने के फैसले को आउट सोर्सिंग और स्टाफिंग इंडस्ट्री पर सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा हैं। यह उद्योग एच वन बी वर्कस तलाश करने वाली कंपनियों के लिए बिचौलिया का काम करता है। इनमें टाटा कंसलटैंसी, इंफोसिस व कॉग्निज़ेंट शामिल हैं।
- अमेरिका के औद्योगिक विशेषज्ञों का मत है कि भले ही शुल्क वृद्धि को कानून की मदद से रोक दिया जाए, पर, इससे अमेरिकन वीज़ा की मांग में भारी कमी आएगी।

बिचौलिये की भूमिका निभाती है। इनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड और कॉग्निजेंट टेक्नॉलजी सॉल्यूशंस कॉर्प शामिल है।

मई 2020 से मई 2024 के बीच टाटा कंसल्टेंसी, इंफोसिस और कॉग्निजेंट टेक्नॉलजी सॉल्यूशंस में की

गई लगभग 90 प्रतिशत नई एच-1बी नियुक्तियों को अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों से मंजूरी मिली थी।

ब्लूमबर्ग के विश्लेषण के अनुसार, इसी अवधि में इंफोसिस की 93 प्रतिशत से अधिक नई एच-1बी नियुक्तियों, जो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में 50 प्रतिशत कर्मचारी “वर्क फ्रॉम होम” करेंगे

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिये गुरुवार (18 दिसंबर) से 50 प्रतिशत वर्क-फ्रॉम-

- दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा 18 दिसम्बर से यह आदेश सभी सरकारी व निजी संस्थानों पर लागू होगा।

होम सुनिश्चित करने के लिये दिशा निर्देश जारी किये।

मिश्रा ने कहा कि ये निर्देश अस्पतालों, अग्निशमन सेवा, जेल प्रशासन, निजी परिवहन, बिजली और पानी विभागों, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण विभाग सहित, जरूरी सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। दिशा-निर्देशों में यह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ नैशनल हैरल्ड मुकदमे से पीछे हटने को तैयार नहीं है भाजपा

भाजपा के प्रवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय ने तकनीकी कारणों के आधार पर ई.डी. को मनी लॉण्डरिंग एक्ट के तहत राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ जाँच की कार्यवाही पर रोक लगाई है

- डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 दिसंबर। सत्तारूढ़ भाजपा को न्यायपालिका से भी नकारात्मक निर्णय स्वीकार करने की आदत नहीं, इसलिए वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ लंबे समय से चल रहे नेशनल हैरल्ड मामले को छोड़ने के मूड में नहीं है। सरकारी सूत्रों ने बताया, असल में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) को कोर्ट के आदेश पर स्टे मिलने की संभावना है और उसे नेशनल हैरल्ड की जब्त की गई करोड़ों की संपत्ति को वापस नहीं करना पड़ेगा। भाजपा के नेताओं ने, नाम न बताने की शर्त पर, कहा कि हमें इस मामले को

लगातार आगे बढ़ाना होगा और हर कानूनी विकल्प का पता लगाना होगा, क्योंकि यह मामला हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, और वह है गांधी परिवार को दबाव में रखना। दिल्ली की एक अदालत ने एक दिन पहले ईडी की चार्जशीट पर सज़ान लेने से मना कर दिया था, और इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा-नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक रुख तेज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के “मुंह पर तमाचा” करार दिया। खड़गे ने मीडिया से कहा, “यह मामला एक राजनीतिक प्रतिशोध का

- प्रवक्ताओं का यह भी कहना है कि न्यायालय का निर्णय, राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ लगे आरोपों की सच्चाई व गुणवत्ता में कमी के कारण नहीं लिया गया है।
- अतः, यह कहना पूर्ण सच नहीं है कि राहुल गांधी व सोनिया गांधी को “रिलीफ” (रियायत) मिली है, न्यायालय से।
- दूसरी ओर, कांग्रेसअध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक रूप से मीडियाकर्मियों के समक्ष कहा कि न्यायालय का निर्णय, प्र.मंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के मुँह पर चपत है तथा दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

परिणाम था। इसे गांधी परिवार को परेशान करने के लिए तैयार किया गया

था। इस निर्णय के बाद मोदी और शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए यह उनके

मुँह पर तमाचा है, सत्य की जीत हुई है।” भाजपा ने इसके जवाब में अपनी हमलावर रणनीति को तेज किया, पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी परिवार पर “राजनीति में सबसे भ्रष्ट परिवार होने” का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब 2,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी, और उन्होंने कांग्रेस के “राजनीतिक प्रतिशोध” के दावों को खारिज किया। भाटिया ने खड़गे पर आरोप लगाया कि “वे अदालत के निर्णय को क्लीन चिट के रूप में प्रस्तुत करके जनता को गुमराह कर रहे हैं।” और यह तर्क दिया कि यह आदेश कानूनी और तकनीकी आधार पर था, न कि आरोपों की सच्चाई पर। उन्होंने कहा, “अगर कोई राजनीति

में सबसे भ्रष्ट है, तो वह गांधी परिवार है,” अदालतों में कई बार जाने के बावजूद गांधी परिवार को कोई कानूनी राहत नहीं मिली। भाजपा नेता के अनुसार, भ्रिंवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही बिना पंजीकृत एफआईआर के नहीं चल सकती, लेकिन इस आधार पर अन्य एजेंसियों को अपनी जांच जारी रखनी थी। इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हैरल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट को सज़ान लेने से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि पीएमएलए की कार्यवाही इस आधार पर मान्य नहीं है, क्योंकि यह मामला सुब्रमण्यम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुंह पर तमाचा है, सत्य की जीत हुई है।” भाजपा ने इसके जवाब में अपनी हमलावर रणनीति को तेज किया, पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गांधी परिवार पर “राजनीति में सबसे भ्रष्ट परिवार होने” का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब 2,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी, और उन्होंने कांग्रेस के “राजनीतिक प्रतिशोध” के दावों को खारिज किया। भाटिया ने खड़गे पर आरोप लगाया कि “वे अदालत के निर्णय को क्लीन चिट के रूप में प्रस्तुत करके जनता को गुमराह कर रहे हैं।” और यह तर्क दिया कि यह आदेश कानूनी और तकनीकी आधार पर था, न कि आरोपों की सच्चाई पर। उन्होंने कहा, “अगर कोई राजनीति

में सबसे भ्रष्ट है, तो वह गांधी परिवार है,” अदालतों में कई बार जाने के बावजूद गांधी परिवार को कोई कानूनी राहत नहीं मिली। भाजपा नेता के अनुसार, भ्रिंवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही बिना पंजीकृत एफआईआर के नहीं चल सकती, लेकिन इस आधार पर अन्य एजेंसियों को अपनी जांच जारी रखनी थी। इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हैरल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट को सज़ान लेने से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि पीएमएलए की कार्यवाही इस आधार पर मान्य नहीं है, क्योंकि यह मामला सुब्रमण्यम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ओमान के सुल्तान ने हवाई अड्डे पर किया मोदी का स्वागत

मस्कट, 17 दिसम्बर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन देशों की चार दिन की यात्रा के अंतिम पड़ाव में बुधवार शाम यहां मस्कट पहुंच गए, जहां हवाई अड्डे

- प्र.मंत्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे।

पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने हवाई अड्डे पर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मोदी ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। उनके स्वागत के दौरान भारतीय राष्ट्रीय गान की धुन बजाई गई। प्रधानमंत्री ने मस्कट पहुंचते ही ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद के साथ बैठक की।

- अवलोकन के दौरान, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत का औद्योगिक उत्पादन घटना दुख का विषय है, क्योंकि किसी भी देश की सफलता की कुंजी उसका औद्योगिक उत्पादन होता है।
- राहुल गांधी की जर्मनी की इस यात्रा की घोषणा लोकसभा के सत्र के दौरान की गई थी तथा इस घोषणा पर भाजपा ने कटाक्ष किया था कि राहुल गांधी के बार-बार विदेश यात्रा पर जाने से, राहुल गांधी के अपनी पार्टी कांग्रेस के प्रति समर्पण पर प्रश्न चिन्ह लगता है।

राहुल गांधी जर्मनी की पाँच दिवसीय यात्रा के दौरान बी.एम.डब्ल्यू. वर्ल्ड की प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 दिसम्बर। जर्मनी के म्युनिख शहर में प्रसिद्ध बीएमडब्ल्यू वर्ल्ड का गाइडेड टूर करते हुए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि किसी भी देश की सफलता के लिए उत्पादन सबसे अहम है, जबकि भारत का मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र गिरावट के दौर से गुजर रहा है।

समग्र आर्थिक विकास में मैनुफैक्चरिंग के महत्व को रेखांकित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह देखकर अच्छा लगा कि यहां भारतीय झंडा लहरा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को शोरूम का दौरा करते, वहां मौजूद लग्जरी कारों को नजदीक से देखते और बी.एम.डब्ल्यू. वर्ल्ड घूमने आए लोगों से बातचीत करते हुए देखा गया। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि वहां 450 सीसी की एक बाइक भी है।

कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा किए गए वीडियो में कांग्रेस नेता ने कहा, “भारत को उत्पादन शुरू करने की जरूरत है। किसी भी देश की सफलता की कुंजी उत्पादन होता है। हमारा मैनुफैक्चरिंग घट रहा है, जबकि

वास्तव में इसे बढ़ना चाहिए।” एक्स पर वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा, “मैनुफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैनुफैक्चरिंग गिरावट में है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा उत्पादन करने की जरूरत है, मजबूत मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियाँ पैदा करने की जरूरत है।” राहुल गांधी दुनिया भर की 117 प्रगतिशील पार्टियों के एक प्रमुख समूह, “प्रोग्रेसिव अलायंस” के निर्मत्रण पर जर्मनी के दौर पर हैं। अपने दौर के दौरान, राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे और जर्मन सरकार के मंत्रियों से भी

मुलाकात करेंगे। बर्लिन एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जर्मनी के अपने पांच दिवसीय दौर के दौरान, वे बुधवार को होने वाले एक बड़े आईओसी (इण्डियन ओवरसीज कांग्रेस) कार्यक्रम में शामिल होंगे और यूरोप भर के आईओसी नेताओं से मुलाकात करेंगे। यह कार्यक्रम कांग्रेस की वैश्विक पहुंच और गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। आईओसी के अनुसार, राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने और यूरोप में पार्टी के विभिन्न अध्येक्षों से जुड़ने के लिए वहां हैं। इस दौरान एनआरआई से जुड़े मुद्दों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘हम सैवन सिस्टर्स (पूर्वोत्तर राज्य) को भारत से अलग करने में मदद देंगे ’

बाँग्लादेश के एक नेता के इस बयान पर नाराज़ केन्द्र सरकार ने बाँग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 17 दिसंबर। ढाका में भारतीय उच्चायोग को दी गई धमकियों और बाँग्लादेशी राजनीतिक नेताओं के भारत विरोधी भड़काऊ बयानों पर औपचारिक कूटनीतिक विरोध दर्ज करने के लिए, भारत ने दिल्ली में मौजूद बाँग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज़ हमीदुल्लाह को तलब किया है। यह सम्मन बाँग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के एक नेता द्वारा दी गई उस धमकी के बाद भेजा गया है, जिसमें कहा गया था कि ढाका, भारत विरोधी ताकतों को शरण देगा और “सेवन सिस्टर्स”, जो कि भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों को संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, को भारत से अलग करने में मदद करेगा।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमीदुल्लाह को बाँग्लादेश में बिगड़ते

- बाँग्लादेश की नैशनल सिटिजन पार्टी के एक नेता ने धमकी दी है कि ढाका, भारत विरोधी ताकतों को शरण देगा और “सेवन सिस्टर्स” अर्थात् सात पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने में मदद करेगा।
- भारत में बाँग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब कर उन्हें बाँग्लादेश में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाँग्लादेश के नेताओं की भारत विरोधी टिप्पणी पर भारत सरकार की नाराज़गी से अवगत कराया गया।

सुरक्षा माहौल पर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया गया।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, उनका बयान, “विशेष रूप से, उन चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों की ओर खींचा गया, जिन्होंने ढाका में भारतीय मिशन के आस-पास “सुरक्षा के लिए खतरा” पैदा करने के लिए योजनाओं की घोषणा की है।

भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह बाँग्लादेश में हाल की घटनाओं के संदर्भ में चरमपंथी तत्वों द्वारा बनाए गए झूठे कथानक को पूरी तरह से नकारता है। मंत्रालय ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो मामले की पूरी जांच की है और न इन घटनाओं के संबंध में भारत के साथ कोई महत्वपूर्ण प्रमाण साझा किए हैं।”

बयान में कहा गया, “भारत के बाँग्लादेश के लोगों के साथ गहरे और दोस्ताना रिश्ते हैं, जिनकी जड़ें मुक्ति संग्राम में निहित हैं और ये रिश्ते विभिन्न विकासात्मक तथा दोनों देशों की जनता की पहल से मजबूत हुए हैं। हम बाँग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्षधर हैं और हमने लगातार स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों की अपील की है, जो शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतरिम सरकार अपने कूटनीतिक दायित्वों के तहत, बाँग्लादेश में मिशनों और पोस्टों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।” “सेवनसिस्टर्स को भारत से अलग करे देंगे”, छात्रों की पार्टी नैशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख हसनात अब्दुल्ला ने यह टिप्पणी की। उन्होंने इंकलाब मंच द्वारा आयोजित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कार्यालय नगर निगम, अजमेर	आपत्ति सूचना	दिनांक- 15/12/2025
क्रमांक: ननिअ/69-ए/2025-26/152	आपत्ति सूचना	दिनांक- 15/12/2025
श्री विजय अग्रवाल पुत्र श्री निरपय नगर, निवासी-ज्ञान विहार अजमेर व श्री कुंजबहादी अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी आर्ब अग्रवाल भवन के पास किशनगढ़ अजमेर द्वारा प्रस्तुति १८एसी.टी. 240/13 नया बाजार अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 13.51 वर्गमीटर है का नगर निगम अजमेर में वार्ड 69-ए के तहत अर्द्धेन प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित रस्त की चौंकार निम्नानुसार है। पूर्व- प्रभाद कुमार जैन उत्तर- नया बाजार मुख्य रोड दक्षिण- नैनीपंद जी सोनी अंतर- जलिर इस सड़क के पूर्व सर्वे सभाघर को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 69-ए के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकांश अधिवास करने के नगर निगम के पास में भूमि के अधिनगर अधिन्याय करण की अड्डा की मजूरी के संबंध में कोई आवेध/आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 3 दिवस के अंदर-अंदर किसी भी कार्य विराम में कार्यालय सम्पन्न में दोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति अधोलतवाकर्ताओं के सम्मक्ष सम्पर्कक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकता है।।उपयुक्त निवास सम्पन्न के भीतर किसी भी आवेध के अन्धाम में यह सम्झा जायेगा कि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आवेध/आपत्ति नहीं है। बाद भियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। - उपयुक्त, नगर निगम, अजमेर		

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0
 टेलीफोन नम्बर- 01462-230051
 क्रमांक- न.पा.वि./मुंमि/2025/5152
 नवीं उपन-भाबर रोड, बिजयनगर ई-मेल npvjayanagar@gmail.com
 आपत्ति सूचना दिनांक: 17-12-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि पालिका/पैराकरी क्षेत्र में निम्न आवेदक द्वारा अपने भूखण्डों/मकानों के पास स्थित अधिक/खांचा भूमि के नियमन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति सूचना जारी होने की तिथि से 7 योम में नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। समय उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.सं.	नाम आवेदक	क्षेत्र	क्षेत्रफल
1	अनिल कुमार चौरीडिया पुत्र श्रीलाल चौरीडिया	भंवरखाडी विजयनगर में ब्लॉक नम्बर 78 में आबादी प्लॉट नम्बर 06 के पश्चिम दिशा में स्थित खांचा भूमि।	26.66 वर्गगज
- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर			

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0
 टेलीफोन नम्बर- 01462-230051
 क्रमांक- न.पा.वि./मुंमि/2025/5156
 नवीं उपन-भाबर रोड, बिजयनगर ई-मेल npvjayanagar@gmail.com
 आपत्ति सूचना दिनांक: 17-12-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि पालिका/पैराकरी क्षेत्र में निम्न आवेदक द्वारा अपने भूखण्डों/मकानों के पास स्थित अधिक/खांचा भूमि के नियमन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति सूचना जारी होने की तिथि से 7 योम में नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। समय उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.सं.	नाम आवेदक	क्षेत्र	क्षेत्रफल
1	निर्मला कुमारी शर्मा पत्नी शेखर शर्मा	मासूली नगर बरत द्वितीय में ख.नं. 950, 951,953,954, 956 के भू.स. 155 के उत्तर दिशा में स्थित खांचा भूमि।	213.33 वर्गगज
- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर			

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0
 टेलीफोन नम्बर- 01462-230051
 क्रमांक- न.पा.वि./मुंमि/2025/5148
 नवीं उपन-भाबर रोड, बिजयनगर ई-मेल npvjayanagar@gmail.com
 आपत्ति सूचना दिनांक: 17-12-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि पालिका/पैराकरी क्षेत्र में निम्न आवेदक द्वारा अपने भूखण्डों/मकानों के पास स्थित अधिक/खांचा भूमि के नियमन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति सूचना जारी होने की तिथि से 7 योम में नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। समय उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.सं.	नाम आवेदक	क्षेत्र	क्षेत्रफल
1	केलाशचन्द शर्मा पुत्र कन्दैयालाल शर्मा	मजदूर संघ गली विजयनगर ब्लॉक नम्बर 150 में आबादी प्लॉट के पूर्व दिशा में स्थित खांचा भूमि।	12.78 वर्गगज
- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर			

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0
 टेलीफोन नम्बर- 01462-230051
 क्रमांक- न.पा.वि./मुंमि/2025/5160
 नवीं उपन-भाबर रोड, बिजयनगर ई-मेल npvjayanagar@gmail.com
 आपत्ति सूचना दिनांक: 17-12-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि पालिका/पैराकरी क्षेत्र में निम्न आवेदक द्वारा अपने भूखण्डों/मकानों के पास स्थित अधिक/खांचा भूमि के नियमन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति सूचना जारी होने की तिथि से 7 योम में नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। समय उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.सं.	नाम आवेदक	क्षेत्र	क्षेत्रफल
1	चन्द्र शेखर शर्मा पुत्र सोहनलाल शर्मा	मासूली नगर बरत द्वितीय में ख.नं. 950, 951,953,954, 956 के भू.स. 156 के उत्तर दिशा में स्थित खांचा भूमि।	213.33 वर्गगज
- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर			

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0
 टेलीफोन नम्बर- 01462-230051
 क्रमांक- न.पा.वि./मुंमि/2025/5153
 नवीं उपन-भाबर रोड, बिजयनगर ई-मेल npvjayanagar@gmail.com
 आपत्ति आपत्ति सूचना दिनांक: 17.12.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने 69-ए के तहत पालिका को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगे। अतः इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजो / प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवे। सम्पावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	मकान मालिक का नाम	मौज्दे का नाम	क्षेत्रफल
1	मनीष ईनामी पुत्र हनुमन्त प्रकाश ईनामी	आबादी क्षेत्र भंवर बाड़ी विजयनगर आबादी भूखण्ड सं. 1012	185.87 वर्गमीटर
- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर			

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0
 टेलीफोन नम्बर- 01462-230051
 क्रमांक- न.पा.वि./मुंमि/2025/5137
 नवीं उपन-भाबर रोड, बिजयनगर ई-मेल npvjayanagar@gmail.com
 आपत्ति आपत्ति सूचना दिनांक: 17.12.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने 69-ए के तहत पालिका को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगे। अतः इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजो / प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवे। सम्पावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	मकान मालिक का नाम	मौज्दे का नाम	क्षेत्रफल
1	उषा नागरी पत्नी विजयनगर प्रकाश 2. अर्जुन नागरी पत्ति राजेंद्र कुमार नागरी	आबादी क्षेत्र भंवर बाड़ी विजयनगर आबादी भूखण्ड सं. 01 (East-west part) plot no. 1/3	312.10 वर्गमीटर
- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर			

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0
 टेलीफोन नम्बर- 01462-230051
 क्रमांक- न.पा.वि./मुंमि/2025/5164
 नवीं उपन-भाबर रोड, बिजयनगर ई-मेल npvjayanagar@gmail.com
 आपत्ति आपत्ति सूचना दिनांक: 17.12.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने 69-ए के तहत पालिका को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगे। अतः इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजो / प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवे। सम्पावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	मकान मालिक का नाम	मौज्दे का नाम	क्षेत्रफल
1	सरता देवी पत्नी हनुमन्त प्रकाश	आबादी क्षेत्र भंवर बाड़ी विजयनगर ब्लॉक नम्बर 18 आबादी भूखण्ड सं. 301 व 02	185.87 वर्गमीटर
- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर			

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0
 टेलीफोन नम्बर- 01462-230051
 क्रमांक- न.पा.वि./मुंमि/2025/5138
 नवीं उपन-भाबर रोड, बिजयनगर ई-मेल npvjayanagar@gmail.com
 आपत्ति आपत्ति सूचना दिनांक: 17.12.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने 69-ए के तहत पालिका को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगे। अतः इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजो / प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवे। सम्पावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र. सं.	मकान मालिक का नाम	मौज्दे का नाम	क्षेत्रफल
1	विशाल ईनामी पुत्र हनुमन्त प्रकाश	आबादी क्षेत्र कुंमि मराठी पट्ट विजयनगर ब्लॉक नम्बर 18 आबादी भूखण्ड सं. 03	179.83 वर्गमीटर
- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर			

कार्यालय ग्राम पंचायत कटर्सू, पंचायत समिति अराई, अजमेर

क्रमांक-ग्रा.प.क/निर्माण/2025-26/86

संमित निविदा सूचना

दिनांक-15/12/25

पंचायत समिति अराई की अधीनस्थ ग्राम पंचायत कटर्सू में कार्य का नाम 1. ग्राम पंचायत कटर्सू जाखड़ों की दाणी में पथवारी से सुण्डा जाखड़ के बाड़ा की ओर सीली ब्लॉक रोड निर्माण कार्य हेतु संमित निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in देखा जा सकता है।

NIB NO- 1. ZAJ2526A1518

UBN NO- ZAJ2526WSRCO1610

प्रशासक

ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम पंचायत कटर्सू

पं. स.-अराई (अजमेर)

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती तनुजा जोशी पत्नी श्री पंकज जोशी की ग्राम घुघरा के खसरा नम्बर 818 भूखण्ड संख्या 84 ए में क्षेत्रफल 84.88 वर्गगज के भूखण्ड की पञ्चावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति पत्र जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितवद्दकारी को इस नियमन के संबंध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी। - उपयुक्त (उत्तर) अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

LSG/BEAW AR/MUT/164471
 D ATE :- 13-12.2025
 तं.वि. शेखन-नमा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगर विकास का/2025-26/10285

दिनांक-17/12/2025

सार्वजनिक सूचना

श्रीमती एप्पा देवी पत्नी श्री विरानवास निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 5/तन कोलौनी खसरा नं. 40 41 प्लॉट नं. 52सी क्षेत्रफल 75.00 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर नगरीय विकास कर र्खिाई में श्रीमती कुशय टाक पत्नी श्री धर्मश्यामा टांक के नाम दर्ज है। रजि बेचान-नामा दिनांक 10.08.2022, रखं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गुडकर) पंजीका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद भियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। - आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

LSG/BEAW AR/MUT/163938
 D ATE :- 09-12.2025
 तं.वि. शेखन-नमा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगर विकास का/2025-26/10286

दिनांक-17/12/2025

सार्वजनिक सूचना

श्री पंकज पुत्र श्री भमर केशोर निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 4/कौंजी पत्नी गौरी शाहपूर मोहनला यु नं. 4/184 मकान नं. 17 क्षेत्रफल 71.94 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर नगरीय विकास कर र्खिाई में श्री रमेशचंद्र मोहनचंद जेठनंद कुमार पुत्र श्री रामसुख के नाम दर्ज है। रजि बेचान-नामा दिनांक 13.02.2024 व रखं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गुडकर) पंजीका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद भियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। - आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

LSG/BEAW AR/MUT/164392
 D ATE :- 12-12.2025
 तं.वि. शेखन-नमा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगर विकास का/2025-26/10284

दिनांक-17/12/2025

सार्वजनिक सूचना

श्रीमती रुक्मणी शर्मा पत्नी श्री मोहनलाल व श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल जी व श्री योगेश शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल श्री गिरिरा शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 6/नन्द नगर मकान नं. 191 क्षेत्रफल 215.00 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर विकास कर र्खिाई में श्री मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल जी के नाम दर्ज है। सनत प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2002 व रखं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गुडकर) पंजीका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद भियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। - आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक: ननिअ/549

आपत्ति सूचना

दिनांक- 11/12/2025

श्रीभद्व अग्रवाल पुत्र श्री निरपय नगर, निवासी-ज्ञान विहार अजमेर व श्री कुंजबहादी अग्रवाल पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी आर्ब अग्रवाल भवन के पास किशनगढ़ अजमेर द्वारा प्रस्तुति १८एसी.टी. 240/13 नया बाजार अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 13.51 वर्गमीटर है का नगर निगम अजमेर में वार्ड 69-ए के तहत अर्द्धेन प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित रस्त की चौंकार निम्नानुसार है।
पूर्व- नारायण 34/486 श्री मोहनपंद अरवि पत्नी जी
उत्तर- नन्दन नं. हजोलीवाली का
दक्षिण- कथिल जी का मकान
अंतर- बबलू जी का मकान
अंतर- जलिर इस सड़क के पूर्व सर्वे सभाघर को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था के पास अग्रवाल द्वारा किये गये पट्टे के आवेदन के संबंध में कोई आवेध/आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 3 दिवस के अंदर-अंदर किसी भी का व दिवस में कार्यालय सम्पन्न में दोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति अधोलतवाकर्ताओं के सम्मक्ष सम्पर्कक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकता है।।उपयुक्त निवास सम्पन्न के भीतर किसी भी आवेध के अन्धाम में यह सम्झा जायेगा कि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आवेध/आपत्ति नहीं है। बाद भियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। - उपयुक्त, नगर निगम, अजमेर

क्र. सं.	मकान मालिक का नाम	मौज्दे का नाम	क्षेत्रफल
1	उषा नागरी पत्नी विजयनगर प्रकाश 2. अर्जुन नागरी पत्ति राजेंद्र कुमार नागरी	आबादी क्षेत्र भंवर बाड़ी विजयनगर आबादी भूखण्ड सं. 01 (East-west part) plot no. 1/3	312.10 वर्गमीटर
- अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम अजमेर			

कार्यालय नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान
 टेलीफोन नम्बर- 01462-777305
 क्रमांक- न.पा.वि./मुंमि/2025/463
 नवीं उपन-भाबर रोड, बिजयनगर ई-मेल np.puskar.nagar@gmail.com
 आपत्ति आपत्ति सूचना दिनांक: 17-12-25

निम्न आवेदक ने अपनी खरीदनुपुत्र/पट्टदसुपुत्र सम्पत्ति के भवन निर्माण स्वीकृति हेतु नगर परिषद पुष्कर में आवेदन किया है, जिन किसी भी व्यक्ति/संस्था इच्छादी की उक्त कार्यवाही की है कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर दोस सवत मय दस्तावेज के आधार पर नगर परिषद पुष्कर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद भियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं परिषद द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	स्थान	क्षेत्रफल	चतुर्थ सीमा
क. सं.	प्राप्ति का नाम	रखान	वर्गगज	पूर्व-दक्षिण पश्चिम- गली
1	श्रीमती राजेश कुमारी पत्ति स्व. श्री भागवद	जायदाद 8/189 पुराना 3/147-8/29 नया दर्राह गली ईमली मोहल्ला छोटी बस्ती पुष्कर	392.22 वर्गगज	पूर्व-दक्षिण पश्चिम- गली दक्षिण- गंगोरा सडक, नौतमन जी
-आयुक्त, नगर परिषद, पुष्कर				

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान
 क्रमांक: न.पा.वि./मुंमि/69/2025/5098
 नवीं उपन-भाबर रोड, बिजयनगर ई-मेल npvjayanagar@gmail.com
 आपत्ति सूचना दिनांक: 16-12-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में नवलख ग्राम मदनगंज के खसरा 297/1। भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 215.00 वर्गगज का आबसीय प्रोजेक्शन एवं प्लाट हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त अधीन प्रकल्प नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्ति/मय साक्ष्य/विवरण सहित कार्यालय सम्पन्न में दर्द करवें।

क्र. सं.	प्राप्ती का नाम	राजस्वर ग्राम का नाम एवं खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित पट्ट भूमि नियमन
1.	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री नन्द मदनगंज खसरा 297/1	आबासीय प्रोजेक्शन एवं पट्टा चाहने हेतु	
अयुक्त,नगर परिषद, किशनगढ़।			

कार्यालय नगरपालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज0
 टेलीफोन नम्बर- 01462-230051
 क्रमांक- न.पा.वि./मुंमि/69/2025/5098
 नवीं उपन-भाबर रोड, बिजयनगर ई-मेल npvjayanagar@gmail.com
 आपत्ति सूचना दिनांक: 16-12-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि निम्न वर्णित आवेदक ने 69-ए के तहत पालिका को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर पट्टे दिये जायेगे। अतः इन भूखण्डों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेजो / प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर देवे। सम्पावधि गुजर जाने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	नाम आवेदक	क्षेत्र	क्षेत्रफल
1	बालकिशन टेटर पुत्र प्रयुताल टेटर	गुर्जर मोहल्ला ब्लॉक नं. 24 (K) प्लॉट नं. 2/2	266.66 वर्गगज
- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बिजयनगर			

पेंशनर दिवस समारोह मनाया

पुष्कर,(निसं)। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा पुष्कर द्वारा पेंशनर दिवस समारोह के रूप में एक होटल, पुष्कर में मनाया गया ।

NAME CHANGE

I Badshan Singh Father of Army No. 15789684M, RHM(TIR), Susheel Kumar Residing of Vill:- Sikrori, Po & Tehsil:- Tirwa, District:- Kannauj, U.P, Pin- 209732 have change my name from Badshan Singh to Badshah vide affidavit No. BZ922553 dated 17/12/2025 before court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I Shasabai Mother of Army No. 15785036M, HAV, Kachare Digambar Bhanudas Residing of Vill:- Hivare, Po:- Dhawadwadi, Tehsil:- Jath, District:- Sangli, Maharashtra, Pin- 416403 have change my name from Shasabai to Shabai Bhanudas Kachare vide affidavit No. BZ922550 dated 17/12/2025 before court campus Nasirabad

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भूपेन्द्र पुत्र जमदीनी की ग्राम घुघरा के खसरा नम्बर 818 भूखण्ड संख्या 81 ए में क्षेत्रफल 88.73 वर्गगज के भूखण्ड की पञ्चावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति पत्र जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितवद्दकारी को इस नियमन के संबंध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी। - उपयुक्त (उत्तर) अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भूकेश चन्द सवासिया पुत्र टीकम चन्द की ग्राम घुघरा के खसरा नम्बर 818 भूखण्ड संख्या 9 ए में क्षेत्रफल 288.88 वर्गगज के भूखण्ड की पञ्चावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति पत्र जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितवद्दकारी को इस नियमन के संबंध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी। - उपयुक्त (उत्तर) अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

लोक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री भूकेश चन्द सवासिया पुत्र टीकम चन्द की ग्राम घुघरा के खसरा नम्बर 818 भूखण्ड संख्या 9 ए में क्षेत्रफल 45.53 वर्गगज के भूखण्ड की पञ्चावली नियमन हेतु प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमन के संबंध में दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति पत्र जारी कर 7 दिवस की आपत्ति आमंत्रित की जाती है। अतः किसी भी हितवद्दकारी को इस नियमन के संबंध में आपत्ति हो तो आम सूचना के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा नियमन कार्यवाही कर दी जायेगी। - उपयुक्त (उत्तर) अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, पृथ्वीराज नगर योजना को लेकर जताया विरोध

अजमेर,(निसं)। ग्राम चौरसियावास के सैकड़ों ग्रामीणों ने बुधवार को अजमेर विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आ

आरजीएचएस योजना में वर्ष 2०25-26 में नवंबर माह तक 2२67 करोड़ रुपये के दावे स्वीकृत

चिकित्सा विभाग ने बीकानेर में निजी डायग्नोस्टिक लैब को योजना से किया डी-पैनल

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में अनियमितताओं के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना के माध्यम से सभी सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं अधिकारी, मंत्रीगण, विधायक, पूर्व विधायक को व्यापक कैशलेस चिकित्सा कवरेज उपलब्ध करवाकर आईपीडी, डेकेयर, ओपीडी, जांच एवं दवाइयों की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना से लाभार्थियों को प्रदेश में व्यापक कैशलेस चिकित्सा कवरेज सुविधा मिल रही है।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में वित्त वर्ष 2021-22 में 687.38 करोड़ रुपये, 2022-23 में 3057.38, 2023-24 में 3519.40 और वित्त वर्ष 2024-25 में 4290 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई। इस योजना में प्रतिदिन औसत 45 हजार से अधिक दावे प्राप्त हुए हैं। योजना अंतर्गत बेहतर समन्वय व

- राज्य सरकार ने 6 कॉनफेड मेडीकल स्टोर्स एवं 1 निजी अस्पताल को किया निर्लिंबित
- अनियमितताओं की जांच व ऑडिट के लिए कंट्रोल एवं परफॉर्मेंस ऑडिट प्रकोष्ठ एवं एंटी फ्रॉड यूनिट
- अस्पतालों को 1260 करोड़ और फार्मसीज को 932 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है

मॉनिटरिंग की दृष्टि से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला स्तर पर उत्तरदायी बनाया गया है। इससे योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है।

आरजीएचएस के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में आईपीडी में 1311.25 करोड़ रुपये, डे-केयर में 411.78 करोड़ रुपये, ओपीडी परामर्श व जांच पर 649.99 करोड़ रुपये एवं दवाईयों पर 1889.85 करोड़ रुपये के दावे तथा वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक कुल 2267 करोड़ रुपये के दावे स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2025-26 में अस्पतालों को 1260 करोड़ रुपये एवं फार्मसीज को 932 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

द्वारा आरजीएचएस में अनियमितता करने पर मंगलवार को बीकानेर में निजी डायग्नोस्टिक लैब को योजना से डी-पैनल कर 6 कॉनफेड मेडीकल स्टोर्स एवं 1 निजी अस्पताल को भी योजना से निर्लिंबित किया गया है। अनियमितता व धोखाधड़ी करने पर विभाग ने वर्ष 2025 में 10 मामलों में संबंधित फार्मसी, चिकित्सक व लाभार्थियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

आरजीएचएस सुविधा को बेहतर व पारदर्शी बनाने के लिए अप्रैल 2025 से अब तक 159 अनुमोदित निजी चिकित्सालयों को योजना से निर्लिंबित कर टीएमएस आईडी ब्लॉक की गई है तथा 5 अस्पतालों को योजना से डी-पैनल किया गया है। आवश्यक सुनवाई

कर अस्पतालों के विरुद्ध 26.12 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई गई, जिसमें से 25.07 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। वर्तमान में 65 निजी चिकित्सालय योजना से निर्लिंबित हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अनियमितता एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों में अप्रैल 2025 से अब तक 137 फार्मसी को निर्लिंबित कर उनकी टीएमएस आईडी ब्लॉक की गई है। इसके अतिरिक्त योजना अन्तर्गत कैशलेस दवा वितरण से इन्कार करने के कारण 411 फार्मसी स्टोर एवं ड्रग लाइसेंस लेप्स हो जाने के कारण 944 फार्मसी स्टोर को निर्लिंबित किया गया है। साथ ही, मेडीकल स्टोर्स के विरुद्ध 39.79 लाख रुपये की पैनल्टी लगाई गई है, जिसमें से 35.42 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। इसी प्रकार अप्रैल 2025 से अब तक कुल 4 लैब एवं डायग्नोस्टिक सेंटर को भी योजना से निर्लिंबित किया गया है। अनियमितताओं में संलिप्त आरजीएचएस कार्डधारकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1032 लाभार्थियों के कार्ड ब्लॉक किये गये हैं। गंभीर अनियमितता व धोखाधड़ी के 61

मामलों में कार्मिक को सेवा से निर्लिंबित करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को लिखा जा चुका है। इनमें से 23 कार्मिकों एवं 7 चिकित्सकों को निर्लिंबित किया गया है। इसी प्रकार 11 चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुल 493 लाभार्थियों के विरुद्ध कार्ड के दुरुपयोग के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को प्रकरण भेजे गये हैं। इनमें से पुलिस विभाग के 137, स्कूल शिक्षा विभाग के 258, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 60, जयपुर विद्युत वितरण निगम के 23 एवं आयुर्वेद विभाग के 15 कार्मिक सम्मिलित हैं। दावों के भुगतान के लिए एफआईएफओ प्रक्रिया आरजीएचएस योजना में विभिन्न अनुमोदित निजी चिकित्सालयों, फार्मसी, जांच केन्द्र व कार्डधारकों के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच व ऑडिट के लिए क्वालिटी कन्ट्रोल एवं परफॉर्मेंस ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त एंटी फ्रॉड यूनिट का भी गठन किया गया है। योजना में क्लेम यूनिट व क्लेम रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है, जिसके जरिए निरंतर जांच व सुनवाई की जा रही है।

टीकाराम जूली ने न बजट पढ़ा और ना ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति समझी : चतुर्वेदी

जयपुर। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि टीकाराम जूली ने न तो राज्य सरकार का बजट ठीक से पढ़ा है और न ही राजस्थान की वास्तविक आर्थिक स्थिति को समझा है। कांग्रेस केवल नकारात्मक जघनीति कर रही है और तथ्यों से दूर बयानबाजी कर रही है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि वर्ष 2013 में जब भाजपा सरकार बनी थी, तब राजस्थान की आर्थिक स्थिति घाटे में थी, लेकिन भाजपा सरकार सरप्लस बजट देकर गई थी। इसके बाद कांग्रेस शासनकाल में एक बार फिर राज्य की अर्थव्यवस्था घाटे में चली गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ काम कर रही है और राज्य के संसाधनों में लगातार वृद्धि हो रही है।

ईआरसीपी परियोजना और यमुना

- राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष पर किया पलटवार

जल समझौते को लेकर अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्षों तक इन मुद्दों पर केवल राजनीति करती रही, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने आर्थिक प्रबंधन के आधार पर ईआरसीपी पर काम शुरू किया है। इसी तरह यमुना जल को लेकर 50 वर्षों तक केवल राजनीति हुई, लेकिन मौजूदा सरकार के आने के बाद इस दिशा में ठोस पहल हुई है और डीपीआर तैयार की जा रही है।

अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य बुनियादी क्षेत्रों में लगातार ठोस और परिणामोन्मुख कार्य कर रही है। पहले ही वर्ष में राईजिंग राजस्थान जैसे

बड़े आयोजन कर सरकार ने विकास और निवेश को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी।

उन्होंने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस ईमानदार है तो विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाकर बहस कराई जाए। इसमें पिछली कांग्रेस सरकार के पांच साल और वर्तमान सरकार के दो साल के कार्यों की तुलना हो, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके।

मनरेगा के नाम बदलने के मुद्दे पर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा से जुड़ी नीतियों में कई सुधार किए हैं। उनके लिए नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। मौजूदा सरकार मनरेगा में समय पर भुगतान, स्थायी विकास से जुड़े कार्यों और अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार देने पर फोकस कर रही है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस अफवाह, भ्रम और नकारात्मकता के सहारे राजनीति कर रही है।

जयपुर के नगेंद्र शर्मा सीआईएसफ में डीआईजी बने



कांग्रेस ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 2 साल में हमने इतने काम कर दिए जितने कांग्रेस ने पांच साल में भी नहीं किए। जब मैं कांग्रेस के लोगों को इन कामों को बताता हूं तो इनको दिखता नहीं है और कहते हैं कि विकास

- जालौर की जनसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने ली कांग्रेस पर चुटकी ली
- हम विद्यालयों में लगाव रहे हैं कैम्प, कांग्रेसी इनमें जाएं और आंखों की जांच कराएं : मुख्यमंत्री

कहाँ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को विकास नहीं दिख रहा है। क्योंकि उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और आंखें मूँर रखी हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करने का कांग्रेस का काम है। अगर आपके पास आंकड़े हैं तो बताइए आपने कितना काम किया और हमने कितना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर विद्यालय में आंखों के कैम्प लगावा रही है जिसमें आंखों की जांच भी होगी और चश्मा भी मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस के लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि वो भी इन शिविरों में जाएं और आंखों की जांच कराएं, आवश्यकता होने पर चश्मा भी लें जिससे उनको दो साल का विकास दिख जाएगा।

नेशनल हैराल्ड मामले में ईडी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका, धक्का-मुक्की में कई घायल

जयपुर (कासं)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कथित दुरुपयोग के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के विरुद्ध प्रदर्शन किया। भाजपा मुख्यालय तक पैदल मार्च का आह्वान किया गया था, परंतु पुलिस ने शहीद स्मारक पर बैरिकेड लगाकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की होती रही। जिसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कर रहे थे। कांग्रेस नेता नारेबाजी करते हुए शहीद स्मारक पहुंचे। जहां बैरिकेड्स पार करने

- आधे घंटे के हंगामे के बाद डोटासरा व जूली के साथ कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

का प्रयास किया गया। इसी दौरान महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भी बैरिकेड्स पर चढ़ गए। धक्का-मुक्की में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ विधायक मनीष यादव का संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर गए।

करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, मनीष यादव, विद्याधर



प्रतर्वन निदेशालय के कथित दुरुपयोग के आरोप के साथ भाजपा मुख्यालय का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जयपुर में शहीद स्मारक पर रोका।

चौधरी, पूर्व विधायक गोपाल मीणा, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़, आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सभी को बसों में भरकर विद्याधर नगर थाने ले जाया गया। जहां कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। प्रदर्शन से पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर

विपक्ष को डराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लंबी पृष्ठताछ की गई। लेकिन अदालत ने ईडी की चार्जशीट को ही खारिज कर दिया। जिससे सच्चाई सामने आ गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अखिलत के फैसले से यह साबित हो गया है कि ईडी राजनीतिक दबाव में काम कर रही थी। उन्होंने इसे सत्य की जीत और सरकार के लिए करारा जवाब बताया।



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की संयुक्त निदेशक क्षिप्रा भटनागर ने मकरंद देशपांडे को डीआईपीआर की ओर से किट गिफ्ट किया।

जयपुर। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की ओर से राज्य सरकार के कार्यकाल के शानदार दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जवाहर कला केन्द्र में 15 दिसम्बर से आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में तीसरे दिन बुधवार को सांस्कृतिक संध्या में भगंप वादन, चंग की थाप, बांसुरी की सुरीली धुनों और काठ की पुतलियों की जीवंत अदाओं ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया।

पर्यटन विभाग के सहयोग से सुसज्जित सांस्कृतिक संध्या में यूसुफ खॉं एवं उनके समूह ने भगंप वादन के माध्यम से कैसो आ गयो जमानो रे और दुनिया में भाया देख ले जैसे लोकगीतों की प्रस्तुति देकर खूब तालियों बटोरीं। वहीं चरू के श्याम मित्र मण्डल ने चंग की जोशीली थाप और बांसुरी की मधुर तान के साथ लोकचुनी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर

- भगंप वादन, चंग की थाप, बांसुरी की सुरीली धुन और कठपुतली शो रहे आकर्षण का केंद्र
- बॉलीवुड एक्टर, राइटर मकरंद देशपांडे ने कठपुतली कलाकारी के अद्भुत हुनर की जोरदार प्रशंसा

दिया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण कठपुतली लोक कलाकार राजू भाट रहे, जिन्होंने ढोलक की थाप पर उंगलियों पर काठ की पुतलियों को नचाते हुए महाराजा अमरसिंह की कहानी प्रस्तुत कर दर्शकों को जीवंत अनुभूति कराई। प्रदर्शनी देखने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर, राइटर और डायरेक्टर मकरंद देशपांडे ने कठपुतली कलाकारी के अद्भुत हुनर की जोरदार प्रशंसा करते हुए कहा कि लोक कलाओं को संजोकर रखा जाए, यह कलाएं हमारी धरोहर हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से यह निःशुल्क कला प्रदर्शन है किन्तु

कठपुतली कला अद्भुत और अलौकिक है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की संयुक्त निदेशक क्षिप्रा भटनागर ने मकरंद देशपांडे को डीआईपीआर की ओर से किट गिफ्ट किया, उनका स्वागत किया, वहीं कलाकारों की भी मंच पर सम्मानित किया। इससे पूर्व राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी क्षिप्रा शर्मा किसांगोई कला के अंतर्गत मोर और मोरनी की लोककथा सुनाकर श्रोताओं को कथाओं की दुनिया में ले गई। इस अवसर पर विभाग की सहायक निदेशक कविता जोशी ने प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉनक्लेव का आज करेंगे शुभारंभ

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) द्वारा हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉनक्लेव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार को जयपुर स्थित होटल मैरियट में इस कॉनक्लेव का शुभारंभ करेंगे। शर्मा हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉनक्लेव में राजस्थान की हरित अर्थव्यवस्था पर आधारित दर्शनी का उद्घाटन व 'मेरी लाइफ-सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरमेंट' पोस्टर का विमोचन करेंगे। इस दौरान संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा, मुख्य सचिव बी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आनंद कुमार व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष आलोक गुप्ता उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने गत दो वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण एवं ईज ऑफ़ ड्रूइंग के लिए विभिन्न उत्कृष्ट कार्य किए हैं। उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सम्मति संचालन तंत्र में ऑटो-रिस्पूअल सुविधा की शुरुआत की गई है।

जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किए पांच आरोपी



- कार्यालय संवाददाता- जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने जल जीवन मिशन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गणपति द्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश कुमार मित्तल, उसके बेटे हेमंत मित्तल (उर्फ गोलू), श्याम द्यूबवेल के मैनेजर एवं लायजनिंग अधिकारी उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी के पूर्व लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम द्यूबवेल के मालिक पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन शामिल हैं।

मायालाल सैनी, नीमराना सहायक अभियंता राकेश चौहान तथा कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार से सांठागंठ कर जल जीवन मिशन के टेंडर हासिल करने में कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गणपति द्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश कुमार मित्तल, उसके बेटे हेमंत मित्तल (उर्फ गोलू), श्याम द्यूबवेल के मैनेजर एवं लायजनिंग अधिकारी उमेश कुमार शर्मा, पीएचईडी के पूर्व लेखाधिकारी गोपाल कुमावत और श्याम द्यूबवेल के मालिक पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन शामिल हैं।

इन आरोपियों पर काम में गंभीर अनियमितताएं बरतने, घटिया सामग्री का उपयोग करने और मनमाने ढंग से मेजरमेंट बुक (एमबी) भरकर करोड़ों रुपये की अवैध प्राप्ति करने का भी आरोप है। एसीबी के पास आरोपियों की आपसी बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, जो मिलीभगत के सबूत हैं।

इस मामले की त्वरित जांच के लिए एसपी महावीर सिंह राणावत की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई थी। जिसमें एससी हिमांशु कुलदीप, भूपेंद्र और महावीर प्रसाद शर्मा शामिल हैं। एसआईटी ने तकनीकी सबूतों और ट्रांसक्रिप्ट का गहन विश्लेषण किया। पहले छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी है। शेष फरार आरोपियों में से इन पांच को जयपुर के विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया गया।

गोविंद गुप्ता ने बताया कि 2023 में आरोपियों को पीएचईडी अधिकारियों से 2.20 लाख रुपये की रिश्तत लेते-देते पकड़ा था। डीआईजी डॉ. रामेश्वर सिंह और एसपी महावीर सिंह राणावत के निर्देशन में एएसपी भूपेंद्र की टीम ने यह कार्रवाई की। एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में पृष्ठताछ और आगे की जांच जारी है।

पिछले साल की तुलना में 14200 करोड़ रुपये अधिक राजस्व मिला

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्व सुधार और वृद्धि के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। डिजिटलाइजेशन और तकनीक के प्रयोग से जीएसटी, स्टैम्प, पंजीकरण, आबकारी, खनन, ऊर्जा तथा परिवहन जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता आई है।

राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास कर टैक्स और नॉन टैक्स श्रेणियों में संरचनात्मक सुधारों को अमल में लाया गया, डिजिटल मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई तथा डेटा के आधार पर कार्य योजनाएं बनाई गईं। इसी का परिणाम है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के कुल राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 12.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार ने टैक्स एवं नॉन-टैक्स दोनों श्रेणियों में व्यापक सुधार करके हुए डिजिटल निगरानी और डेटा एनालिटिक्स का प्रभावी उपयोग किया है। इसके साथ ही फर्जी बिलिंग, अवैध खनन तथा अन्य राजस्व लीकेज गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया गया है। इन प्रयासों से राजस्थान के राजस्व संग्रह में निरंतर और मजबूत वृद्धि संभव हुई है। प्रदेश को पिछले वर्ष की तुलना में 14 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है।

विभाग द्वारा रेवेन्यू इंटेलीजेंस आधारित विश्लेषण को सुदृढ़ कर 45 से अधिक डेटा ड्रि्वन रिपोर्ट्स तैयार की गईं, जिनसे फर्जी बिलिंग की पहचान संभव हुई और इस पर प्रभावी रोक लगी। इसके अतिरिक्त ई-वे बिल मिलान, रिटर्न प्रोफाइलिंग तथा आधुनिक आईटी टूल्स के माध्यम से हाई रिस्क करदाताओं की निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई की गई।

पिछले दो वर्षों में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब निर्माण, परिवहन और

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस से बदली तस्वीर, प्रदेश के राजस्व में हुई वृद्धि

बिक्री पर नियंत्रण के लिए इंटेलिजेंस आधारित सघन अभियान चलाए गए हैं। इन कार्रवाईयों के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब की जब्ती और अवैध भट्टियां को नष्ट कर तस्कर गिराहों पर कठोर कार्रवाई की गई, जिससे राजस्व लीकेज को प्रभावी रूप से रोका गया। राज्य सरकार द्वारा तकनीकी सुधारों को अपनाते हुए ई-एक्साइज प्रणाली, क्यूआर आधारित टैकिंग, डिजिटल परमिट सिस्टम और एंड-टू-एंड सप्लाय चेन मॉनिटरिंग को लागू किया।शराब दुकानों के आवंटन में मानवीय हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार को संभावनाओं को खत्म करते हुए ई-लॉटरी प्रणाली को अपनाया गया है। इससे लाइसेंसिंग प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनी है।

राज्य में स्टॉप एवं पंजीकरण में डिजिटल सुधारों के प्रत्यक्ष सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। ई-पंजीयन, ई-ग्रास, राश स्ट्याम और 181 हेल्पडेस्क जैसी ऑनलाइन प्रणालियों के माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सरल बनाया गया है। इससे नागरिकों के समय और लागत दोनों की बचत हुई है। गत दो वर्षों में विभाग द्वारा 50 लाख से अधिक दस्तावेजों का पंजीकरण किया गया है, जिससे 20 हजार 599 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही परिवार में संपत्ति हस्तांतरण, महिलाओं के नाम संयुक्त रजिस्ट्री, छोटे प्लेटों की खरीद, टीडीआर और डेबट असाइनमेंट पर स्टॉप इयूथी की भी महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान की गई हैं।

कांग्रेस केवल सुर्खियां बटोरने की राजनीति कर रही : जोगाराम पटेल

जयपुर (कासं)। संसदीय कार्य, विधि एवं न्यायिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और भाजपा विधायक बालमुकुंददाचार्य ने कांग्रेसी नेताओं पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और यह अधिकार होना भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस अधिकार का दुरुपयोग कर केवल सुर्खियां बटोरने की राजनीति कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस का आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप रहा और जयपुर में किया गया प्रदर्शन भी केवल समाचार पत्रों में जगह पाने की कोशिश भर था।

पटेल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं। कांग्रेस, भाजपा सरकार की 'राईजिंग राजस्थान' पहल पर भी अनावश्यक सवाल उठा रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कांग्रेस में साहस है तो वह 'राईजिंग राजस्थान' के तहत हुए कार्यों और निवेश प्रस्तावों का खंडन करके दिखाए।

नेशनल हेराल्ड प्रकरण पर बोलते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चार्जशीट में तकनीकी कमियां हैं। न्यायालय ने यह कहीं नहीं कहा कि

- कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ, जनता राष्ट्रविरोधी राजनीति को भलीभांति समझ चुकी है, बालमुकुंददाचार्य

जांच एजेंसी के आरोप गलत हैं। कोर्ट ने केवल यह कहा है कि चार्जशीट में जो कमियां हैं, उन्हें विधि न्यायाधीन पूरा किया जाए। इसका अर्थ यह है कि संबंधित लोग न तो आरोपों से मुक्त हुए हैं और न ही मामले समाप्त हुआ है। भाजपा विधायक बालमुकुंददाचार्य महाराज ने कहा कि कांग्रेस का हालिया प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ है। जनता अब कांग्रेस की नकारात्मक, भ्रम फैलाने वाली और राष्ट्रविरोधी राजनीति को भली-भांति समझ चुकी है। कांग्रेस को यह भ्रम सताने लगा है कि उसका राजनीतिक अस्तित्व अब समाप्ति की ओर है। इसी डर के कारण कांग्रेस कभी ईवीएम पर सवाल उठाती है, कभी वोटर लिस्ट को खंड देती है और अब तो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है, जो लोकतंत्र का अपमान है।



चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी एक मौका चूक गई। ग्रीन को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी ने रिकॉर्ड 25.2० करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए- आर अश्विन

पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, कैमरान ग्रीन को लेकर बोलते हुए।

राजस्थान ने नागर हवली दमन दयू को 6-0 से हराया

जयपुर, 17 दिसम्बर। राजस्थान ने 6–० से की विजय शुरुआत करते हुए विद्याधर नागर स्टेडियम मे प्रारम्भ हुई सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी का आगाज किया। पहले दिन 2 मैच हुए प्रथम मैच गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य खेला गया जिसमे गुजरात ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुऐ 3–० से मैच जीता। मैच के 8वे एवं 78 वे मिनट मे गुजरात के मोईनुद्दीन ने गोल किया इसके बाद मैच के 8९ वे मिनट मे धर्मेश से गोल करे के टीम को 3-० से विजय बनाया। दूसरा एवं उद्घाटन मैच राजस्थान और दादर और नागर हवली दमन दयू के मध्य खेला गया। मैच के दुसरे मिनट मे ही दादर नागर की टीम से आत्मघाती गोल कर राजस्थान टीम को 1–

0 की बढ़ात दे दी। इसके बाद राजस्थान ने

विरोधी टीम के गोल पर भरसक प्रयास किया जिसकी बदौलत मैच के 44 वे मिनट मे राजस्थान के अमित ने दमन के रक्षापंक्ति को छकाते हुए शानदार गोल कर बढते को 2–० से कर दी। मध्यन्तर तक राजस्थान ने यह बढत बरकरार रखी और मध्यन्तर के बाद राजस्थान ने अपना पारम्परिक अंदाज मे खेल का परिचय देते हुऐ मैच के 62 वे मिनट राजस्थान के मुकेश से शानदार बाइसाइडल क्रिक से गोल करे के बढत 3–० कर दी। इसके बाद 72 वे मिनट मे नीरज ने और 81 वे मिनट मे मिलन और 82 वे मिनट मे मुकेश से गोलकर मैच को 6–० से मैच अपने नाम किया। राजस्थान के मुकेश को प्लेयर ऑफ ऑफ द मैच चुना गया ।

एमसीजी और संस्कार क्रिकेट अकादमी जीती

जयपुर, 17 दिसम्बर। जयपुर कप सीजन–

1 में आज के पहले मैच में केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37.2 ओवर में 24० रन 1० विकेट के नुकसान पर बनाए। राज ने 46 और राकेश जांगिड़ ने 3९ रनों का योगदान दिया। एमसीजीक्रिकेट अकादमी की ओर से श्रेष्ठ पंत ने 3 , मि्तेश जांगिड़ और नयन माली ने दो–दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमसीजीक्रिकेट अकादमी ने 27.3 ओवर में 243 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना कर जीत हासिल कर ली। पुखराज कुमार ने 1०4 और पंकज जांगिड़ ने 61 रनों का योगदान दिया। केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी की ओर से धर्मेद्र यादव और

राहुल सैनी ने दो–दो विकेट लिया।मैन ऑफ

द मैच पुखराज कुमार को चुना गया।

दूसरे मैच में संस्कार क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 38.5 ओवर में 3०० रन 1० विकेट के नुकसान पर बनाए। आदित्य झाला ने 65 , हार्दिक ने 54 और अभिषेक यादव ने 55 रनों का योगदान दिया।कैडलविक क्रिकेट अकादमी की ओर से मानव ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैडलविक क्रिकेट अकादमी 32 ओवर

में 181 रन पर ऑल आउट हो गई। मेहुल सिंह ने सर्वाधिक 5९ रनों का योगदान दिया। संस्कार क्रिकेट अकादमी की ओर से अभयराज ने तीन विकेट लिए। मैच का मैन ऑफ द मैच आदित्य झाला को चुना गया।

दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की यात्राएं आविश्चरसनीय रहीं। गर्मजोशी से स्वागत, शानदार आतिथ्य और पूरे दौर के दौरान मिले प्यार के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्ज्वल है !''

क्या आप जानते हैं ?... विराट कोहली की 2०25 में उल्लेखनीय निरंतरता ने उन्हें भारत के सर्वोच्च वनडे रन-स्कोरर का खिताब दिलाया, उन्होंने 651 रनों के प्रभावशाली स्कोर के साथ वर्ष का समापन किया।

जयपुर ने बेदला को हराया, लांस वाटसन ने डबल हैट्रिक के साथ 8 गोल किये

जयपुर, 17 दिसम्बर। पीपीसी पोलो ठाउंड पर जयपुर पोलो टीम और बेदलाके बीच मैच हुई अली ने 1 गोल और लांस वाटसन ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए डबल हैट्रिक लगाते हुए 8 गोल कर टीम को जीत दिलाई।

की ओर से सिद्धांत शर्मा और फ्रेडरिक ने 2–

2 गोल किए। जयपुर पोलो टीम की ओर से

हुर्न अली ने 1 गोल और लांस वाटसन ने

बेहतरीन खेल दिखाते हुए डबल हैट्रिक लगाते

हुए 8 गोल कर टीम को जीत दिलाई।

 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	
विद्युत अधिनियम, 20०३ की धारा ६4 (2) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीपीएलएन), जोधपुर (जिसे डिस्कॉम के नाम से भी जाना जाता है) ने राजस्थान विद्युत निगमक आयोग (आरईआरसी) के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और धारा 64 के तहत, आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 201९ (समय-समय पर संशोधित), आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2025 और आरईआरसी (निवेश अनुमोदन) विनियम, 20०6 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर के समायोजन, एआरआर और टैरिफ के निर्धारण और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निवेश योजना के अनुमोदन हेतु एक याचिका दायर की है। याचिका की प्रतियां आयोग के कार्यालय में और निम्नलिखित स्थानों पर निरीक्षण/पठन के लिए उपलब्ध हैं और 20० रुपये के भुगतान पर खरीदी जा सकती है। 1. लाइसेंसधारिता का मुख्यालय –यूपवार हाउस, बरानी, जोधपुर। 2. ओ एंड एम के अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, जोधपुर सिटी सर्कल, जोधपुर जिला। सर्किल, जोधपुर/पाली/सिरोही/जैसलमेर/बांसमेर/बांसमेरग/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर/बीकानेर/पूरु/बालौर/बालोतर/फलोदी। यह याचिका निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। www.energy.rajasthan.gov.in/jdvnnl/ और आरईसी की वेबसाइट पर भी। www.rerc.rajasthan.gov.in जेडीवीपीएलएन द्वारा दिनांक 24.12.2025 को सुबह 11:०० बजे जोधपुर स्थित न्यू पावर हाउस के समलगत कक्ष में याचिका की ऑडियो-विडियो प्रस्तुति का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित दिन प्रस्तुति में भाग ले सकते हैं। टिप्पणी/सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति सहायक विवरणों और आरईआरसी (व्यावसायिक लेनदेन) विनियम 2021 के प्रकर-3 में एक शायप-पत्र के साथ छह प्रतियों में प्रापकर्ता अधिकारी, आरईआरसी, विनियमक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-3०2०01 के पास प्रेषण कर सकते हैं, ताकि यह 06.०1.2०2६ तक प्रापकर्ता अधिकारी तक पहुंच जाए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एआरआर, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एआरआर, टैरिफ और निवेश योजना के समायोजन हेतु दापर याचिका के प्रमुख बिंदुओं का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है (याचिका संख्या 238०/25):	
तासिका 1: वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल राजस्व आवश्यकता (ARR) के समायोजन का सारांश (रुपये करोड़ में)	

क्र.	विवरण	जेडीवीपीएनएल	
		अनुमत	दू अप के लिए दावा किया गया
1	आय		
2	बिजली की बिक्री	20662	2०768
3	वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए एफएएस की वसूली	1437	
4	व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री	0	160
5	गैर-टैरिफ आय/अपकेटिफ आय (आरसीपीएन/आरबीयूनन के दू-अप केडेट सहित)	4०6	1188
6	व्हीलिंग शुल्क, क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार से प्राप्त आय	1	2
7	कुल राजस्व (अ)	22506	22118
8	व्यय		
9	प्रसारण शुल्क सहित बिजली खरीद लागत	16974	19995
1०	संचालन एवं रखरखाव व्यय	1636	1361
11	टर्मिनल लाभ	370	1250
12	मृत्युह्रास	706	1०91
13	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज और वित्त शुल्क (उपभोक्ताओं की सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज सहित)	666	1435
14	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	249	2584
15	वित्तिकोषम परिसंपत्तियों पर ब्याज	1981	
16	यदि कोई अयोग्य ऋण माफ किया गया हो तो	0	34
17	बीमा व्यय	26	0.5०
18	अन्य डेबिट (पिछली अवधि की मदी सहित)	0	(351)
19	क्रय व्यय (ARR) (B)	226०9	27399
2०	अधिषेय / (अंतर) (C=A-B)	(103)	(5281)
21	वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व सब्सिडी/अनुदान		
22	धारा 65 (क) के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा उपयुक्त सरकार से प्राप्त राजस्व सब्सिडी	26	55
23	एफआरबीयूनन योजना (ई) के तहत हानि अनुदान	77	2485
24	अनुदान के बाद राजस्व अधिषेय/(अंतर) (F=C+D+E)	0	(2741)
25	विलंबित भुगतान अधिभार (उपभोक्ताओं से) (जी)	0	237
26	असाधारण आय/(व्यय) (एच)	0	2789
27	युद्ध राजस्व अधिषेय / (अंतर) (F+G+H)	0	(188)

तासिका 2: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (करोड़ रुपये में)		
क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27
1	बिजली खरीद व्यय	18123
2	संचालन एवं रखरखाव व्यय	
2.1	कर्मचारी व्यय	1373
2.2	प्रशासन एवं सामान्य व्यय	169
2.3	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	549
2.4	टर्मिनल लाभ	1326
3	मृत्युह्रास	1796
4	दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज और वित्त शुल्क (सुरक्षा जमा पर ब्याज सहित)	1664
5	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	264
6	वित्तियामक परिपक्वताओं पर ब्याज	1565
7	प्रसारण शुल्क	2293
8	एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसी शुल्क	12
9	यदि कोई अशोध्य ऋण माफ किया गया हो तो	-
1०	कुल राजस्व व्यय	२9133
11	लाभार्थ	-
12	आर औरि पर कर	-
13	कुल राजस्व आवश्यकता	29133
14	घटाएं: गैर-टैरिफ आय	3०2
15	घटाएं: व्हीलिंग शुल्क से प्राप्त आय	3
16	घटाएं: क्रॉस सब्सिडी संचायनर्ज के मद में प्राप्त राशि	0
17	घटाएं:व्हीलिंग के शुल्क पर अतिरिक्त अधिभार के कारण प्राप्त रसीद	0
18	सूदरा शुल्क से कुल सूदरा राजस्व की आवश्यकता (13-14-15-16-17)	28828
19	मौजूदा टैरिफ पर बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व	23856
20	व्यापार से प्राप्त राजस्व	790
21	वित्तियामक अधिभार से राजस्व	2837
22	एफपीपीएस से राजस्व	474
23	पीओसी से प्राप्त राजस्व	20
24	उपयुक्त सरकार से प्राप्त सब्सिडी (हानि सब्सिडी सहित)	2259
25	मौजूदा टैरिफ पर वर्ष के लिए राजस्व अधिषेय/(अंतर) (19+2०+21+22+23+24-18)	1407
26	टैरिफ युक्तिकरण के बाद बिजली की बिक्री से राजस्व	23854
27	शुल्क युक्तिकरण के बाद राजस्व में वृद्धि/(कमी)	(2)
29	टैरिफ युक्तिकरण के बाद वर्ष (25+28) के लिए अधिषेय/(अंतर)	1405

तासिका 3: राज्य सीमा अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा (एमयू)		
विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27	
	40,532	
तासिका 4 वितरण हानियाँ		
विवरण	वित्तीय वर्ष 2026-27	
वितरण हानि (%)	13.00%	
डिस्कॉम ने वित्त वर्ष 2०26-27 के लिए निम्नलिखित निवेश योजना प्रस्तावित की है: तासिका 5: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निवेश योजना और वित्तपोषण के स्रोत (रुपये करोड़ में)		
क्रमांक	योजना का नाम	मात्रा
1	प्रसारण एवं वितरण कार्यक्रम	1045
2	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य	2044
3	आरडीएसएस (ग्रुनिदाटी दांचा)	807
4	आरडीएस (आरएमएस और आईटी/ओटी)	61



एमसीजी और संस्कार क्रिकेट अकादमी जीती

जयपुर, 17 दिसम्बर। जयपुर कप सीजन–1 में आज के पहले मैच में केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 37.2 ओवर में 24० रन 1० विकेट के नुकसान पर बनाए। राज ने 46 और राकेश जांगिड़ ने 39 रनों का योगदान दिया। एमसीजीक्रिकेट अकादमी की ओर से श्रेष्ठ पंत ने 3 , मि्तेश जांगिड़ और नयन माली ने दो–दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी एमसीजीक्रिकेट अकादमी ने 27.3 ओवर में 243 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना कर जीत हासिल कर ली। पुखराज कुमार ने 1०4 और पंकज जांगिड़ ने 61 रनों का योगदान दिया। केबी रॉयल्स क्रिकेट अकादमी की ओर से धर्मेद्र यादव और

5	आरडीएसएस (छूटे हुए एआरएचएफ का विद्युतीकरण)	142
6	आरडीएसएस (फीडर पुष्ककरण)	775
7	कुवि उपभोक्ताओं की आपूर्ति के लिए दो ब्लॉक आपूर्ति (आरडीएसएस)	290
8	आरडीएसएस (डीए-JUGA और छूटे हुए परेतु कनेक्शन)	250
	कुल	5414
क्रमांक	वित्तपोषण का स्रोत	
1	ऋण	2588
2	अनुदान	1395
3	हिस्सेदारी	1113
4	उपभोक्ता योगदान	318
	कुल	5414

टिप्पणी- डिस्कॉम ने बताया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आरडीएसएस स्मार्ट मीटरिंग घटक के अंतर्गत व्यय 272 करोड़ रुपये है। हालांकि, पूर्वी निवेश के उद्देश्य से, स्मार्ट मीटरिंग घटक के लिए आवंटित व्यय को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसे कुल व्यय (टोटल) मोड पर लागू किया जाना है। डिस्कॉम ने **क्रॉस सब्सिडी शुल्क, व्हीलिंग शुल्क, अतिरिक्त अधिभार और ग्रीन टैरिफ में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव भी दिए हैं:**

तासिका 6: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित क्रॉस सब्सिडी अधिभार		
वर्ग	वोल्टेज (केवी)	सीएसएस (र./किलोवाट घंटा)
व्द औद्योगीयिक	132	1.75
	33	1.75
	11	1.75
	132	1.75
	33	1.75
मिश्रित भार- एचटी	11	1.75
	33	1.75
	132	1.75
अधरेलू,एचटी	33	1.75
	11	1.75

तासिका 7: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित व्हीलिंग शुल्क		
विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)	
132 केसी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	0.01	
33 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	0.11	
11 केवी वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	0.63	
कम वोल्टेज स्तर पर व्हीलिंग चार्ज	2.49	
तासिका 8: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त अधिभार		
विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)	
ग्रीन टैरिफ (र./किलोवाट घंटा)	0.00*	
तासिका 9: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित हरित ऊर्जा शुल्क		
विवरण	(रुपये/किलोवाट घंटा)	
ग्रीन टैरिफ (र./किलोवाट घंटा)	0.00*	

*** टिप्पणी-** डिस्कॉम द्वारा ग्रीन पावर का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं से कोई प्रीमियम शुल्क न लेने का प्रस्ताव है। ग्रीन पावर उसी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी जो किसी विशेष श्रेणी के लिए लागू होती है।

डिस्कॉम ने याचिका में किसी भी प्रकार के शुल्क संशोधन का प्रस्ताव नहीं दिया है। हालांकि, डिस्कॉम ने निम्नलिखित शुल्क युक्तिकरण उपायों की मांग की है:-

1. मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एमपी/एचटी-६) के लिए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क में कमी- मध्यम औद्योगिक सेवा के अंतर्गत ऊर्जा शुल्क वर्तमान में 650 पैसे (6.50 रुपये) प्रति यूनिट निर्धारित है। सभी लागू छूटों को ध्यान में रखते हुए, एचटी-3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क 6.30 रुपये प्रति किलोवाट घंटा बनता है। डिस्कॉम ने एचटी-3 उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम प्रभावी ऊर्जा शुल्क को सभी छूटों के बाद 6.०0 रुपये प्रति किलोवाट घंटा करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि आधार ऊर्जा शुल्क दर 650 पैसे प्रति यूनिट पर अपरिवर्तित रहेगी। इस समायोजन का उद्देश्य मध्यम उद्योगों को राहत प्रदान करने और अधिक प्रतियर्धी दरें उपलब्ध करना है। इस संशोधन का उद्देश्य सामर्थ्य को बढ़ाना, राजस्थान में औद्योगिक विकास को समर्थन देना और डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यों को बनाए रखते हुए बाजार की स्थितियों और आपूर्ति लागत के रूझनों के अनुरूप होगी।

2. सार्वजनिक सड़क प्रकाश व्यवस्था (पीएसएल) श्रेणी के लिए समय-समय पर लागू होने वाले शुल्क (टीओडी) को हटाना:डिस्कॉम ने सार्वजनिक सड़क लाइटिंग (पीएसएल) उपभोक्ताओं के लिए टाइम-आफ-डे (टीओडी) टैरिफ को हटाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट्स मुख्य रूप से शाम और रात के शुरुआती घंटों में, आमतौर पर सूर्यास्त से लेकर आधी रात या सुबह तक चलती हैं और अधिक समय में लोड को स्थानांतरित नहीं कर सकतीं, जो कि टीओडी टैरिफ का मूल उद्देश्य है। इसलिए, इन उपभोक्ता न तो सौर ऊर्जा के घंटों के दौरान लागू कम टैरिफ का लाभ उठा सकते हैं और न ही पीक- घंटों के सर्चार्ज से बच सकते हैं, जिससे टीओडी का अनुपयोगी अनुचित हो जाता है।

3. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल-भाग टैरिफ की शुरुआत:विद्युत मंत्रालय ने 17.०9.2024 को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवरिचरण को अनुसर प्रस्तावित किए गए टैरिफ दिशानिर्देश जारी किए। उपर्युक्त दिशानिर्देशों के खंड 9 में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए एकल-भाग टैरिफ अविभाज्य किया गया है, जो 31.०3.2028 तक टीसीटी की औसत लागत (ACoS) पर सीमित है, जिसमें सौर ऊर्जा के घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान ०.7 गुना ACoS और गैर-सौर ऊर्जा के घंटों के दौरान 1.3 गुना ACoS शुल्क लागू होगा। इन दिशानिर्देशों के अनुरूप और राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, वितरण कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए मौजूदा निहित शुल्कों को हटाकर एकल-भाग टैरिफ पर स्थानांतरित होने का प्रस्ताव करती हैं।

4. बिजली आपूर्ति के लिए टैरिफ की परिभाषा 17 में संशोधन का प्रस्ताव: डिस्कॉम ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा विद्युत आपूर्ति के लिए टैरिफ की परिभाषा 17 में वर्तमान में कहा गया है कि सेवा कि नीचे दिया गया है-

“यदि एमआईआई द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग एक वित्तीय वर्ष में दो बार से अधिक 50 केवीए से अधिक हो जाती है, तो एलटी से एचटी आपूर्ति में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे मामले में, उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष में तीसरी बार अधिकतम मांग से अधिक होने पर संबंधित सहायक अभियंता द्वारा जारी नोटिस की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर 11 केवी पर आपूर्ति लेनी होगी। अनुपालन न करने पर उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया जाएगा।”

डिस्कॉम ने बिजली आपूर्ति टैरिफ की परिभाषा 17 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें “दो बार से अधिक” वाक्यांश को “तीन बार” से प्रतिस्थापित किया जाएगा। वर्तमान शब्दावली अस्पष्ट है क्योंकि इसमें “दो बार से अधिक” का उल्लेख तो है, लेकिन तीसरी बार ऐसा होने पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। TCOS-2021 के खंड 4.8(b) में पहले से ही यह निर्दिष्ट है कि एक ही वित्तीय वर्ष में तीन बार निर्धारित सीमा से 5% से अधिक मांग होने पर दो बार से बढ़ावा लागू होगा। इसलिए डिस्कॉम ने प्रस्ताव दिया है कि परिभाषा 17 की TCOS के अनुरूप करने से स्पष्टता, एकस्पता सुनिश्चित होगी और व्याख्या संबंधी समस्याएं दूर होंगी।

5 किलोवाट तक के एससीएफ के लिए एनडीएस एनडीएस प्रकार 1	मांग/निश्चित शुल्क (र./यूनिट)	ऊर्जा शुल्क (र./यूनिट)
प्रति माह पहले 1०0 यूनिट तक की खपत	350	7.00
प्रति माह 1०0 यूनिट से अधिक और 2०0 यूनिट तक की खपत।		8.50
एनडीएस प्रकार 2		
प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत	450	7.00
प्रति माह 1०0 यूनिट से अधिक और 2०0 यूनिट तक की खपत।		8.50
एनडीएस प्रकार 3		
प्रति माह पहले 100 यूनिट तक की खपत	700	7.00
प्रति माह 1०0 यूनिट से अधिक और 2०0 यूनिट तक की खपत।		8.50
प्रति माह 200 यूनिट से अधिक और 5०0 यूनिट तक की खपत		

6 सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट टैरिफ के लिए निश्चित शुल्कों पर अधिकतम सीमा को पुन: लागू करना: डिस्कॉम ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के टैरिफ आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट (पीएसएल) श्रेणी के लिए मौजूदा निहित शुल्क बहुत अधिक है। इस स्थिति से पीएसएल उपभोक्ताओं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रमुख व्यवस्था के लिए निवेश नगर विकास और स्थानीय प्राधिकरणों पर प्रतिवृत्त प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे उपभोक्ताओं के एक सेवा कनेक्शन से कई लैंप पॉस्ट उड़ते होते हैं और इन उपभोक्ताओं के लिए निहित शुल्क प्रति लैंप पॉस्ट के आधार पर गणना की जाती है। इस प्रभाव को कम करने और वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, डिस्कॉम पीएसएल श्रेणी के लिए प्रति सेवा कनेक्शन निश्चित शुल्क पर एक सीमा फिर से लागू करने का प्रस्ताव करते हैं। इस उपाय का उद्देश्य नगर विकासों की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, जिससे डिस्कॉम की राजस्व आवश्यकताओं से समझौता किए बिना सार्वजनिक कल्याण उद्देश्यों का समर्थन किया जा सके। पीएसएल श्रेणी के लिए प्रस्तावित टैरिफ संरचना नीचे दी गई तासिका में दर्शाई गई है:	मांग/निश्चित शुल्क	ऊर्जा शुल्क (रुपये प्रति यूनि
--	--------------------	-------------------------------

